BCCI BULLETIN

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

Estd. 1926

Vol. XXXXIV | 31st July 2013 | No. 9

Relief for traders: Road Permit limit raised above ₹ 50k

Thanks to the efforts of Bihar Chamber of Commerce & Industries (BCCI), the traders across the state have got relief on the issue of generating road permits for sending goods within the state. They will now have to generate road permits only for sending goods worth above Rs 50,000 for internal sales within the state.

The commercial taxes department had earlier reduced this threshold limit to above Rs 25,000 from May 16 this year. The department's decision to restore status quo ante follows the intervention of Chief Minister Nitish Kumar .

Giving this information here on Friday, BCCI Vice-President Shashi Mohan said the department's decision to halve the threshold limit for road permits and created a difficult situation for traders. They had to give self-declaration in D8 proforma , which had to be generated online, for sending goods worth above Rs 25,000 anywhere in the state, including within the state capital. The inadequacy of this limit could be gauged by the fact that even a top-end mobile phone now costs above Rs. 25, 000.

> BCCI President PK Agrawal took up the matter with CM Nitish Kumar, Who realized the difficulties faced by traders. Happily, the limit has been raised to above Rs 50,000 once again.
>
> **Shashi Mohan** | BCCI VICE-PREZ

"BCCI President P. K. Agrawal took up the matter with CM Nitish Kumar who realized the difficulties faced by traders. Happily, the limit has been raised to above Rs 50,000 once again. This will save traders from avoidable trouble, " Shashi Mohan said.

He added there was a crying need for raising this limit further. The limit of Rs 50,000 was fixed about 15 years ago. Prices have since risen several fold. " Therefore, BCCI has been demanding that the threshold limit for obtaining road permits be raised to at least Rs 2 lakh."

He hoped the CM and others would consider the demand sympathetically and take a decision in the best interests of trade and industry in the state.

(Source: Times of India , 20.7.2013)

दोबारा ट्रक पकड़ाया तो एफआईआर

राज्य के व्यापारियों एवं ट्रांसपोर्टरों पर शिकंजा कसने के लिए वाणिज्य कर विभाण का एक और नया एंक्शन प्लान। इसके तहत जो ट्रक पूर्व में पकड़े गए हैं (चाहे किसी मामलों में) अगर दोबारा पकड़े जाते हैं तो उनपर विभागीय कार्वाई के साथ-साथ प्राथमिकी भी दर्ज होगी। इसके लिए विभाग ने 8 धावा दल गठित किया है।

(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान , 21.7.2013)

राथेर बने जीएसटी कमेटी के चेयरमैन

जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथेर जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के नए चेयरमैन चुने गए हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 23.7.2013)

रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से ही जाएगा सामान

व्यापारियों पर शिकंजा कसने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने एक और नया फार्मूला तैयार किया है। नए फार्मूले के तहत व्यापारियों को बिहार के अन्दर अपना माल भेजने के लिए रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। बिना वाणिज्य कर विभाग से रजिस्ट्रेशन कराए अगर कोई ट्रांसपोर्टर बिहार के अन्दर सामान भेजता है, तो पकड़े जाने पर उसपर पेनॉल्टी की कार्रवाई शुरू जाएगी। इस बारे में विभाग ने अपने वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी दे दी है।

वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के अंदर कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए रोड परमिट डी-8 में एक और संशोधन किया है। इसके तहत व्यापारी अपना सामान उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से भेजेंगे जो विभाग से निबंधित है। अगर व्यापारी रोड परमिट डी-8 में वैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम डालते हैं जो वाणिज्य कर विभाग से रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रोड परमिट डी-8 निर्गत होगा ही नहीं। विभाग ने यह व्यवस्था 22 से लागू कर दी है।

(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान, 24.7.2013)

THE BIHAR GAZETTE

EXTRA ORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

26 ASADHA 1935 (S)

(NO. PATNA 569) PATNA, WEDNESDAY, 17 TH JULY 2013

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 16th July, 2013

No. Bikri Kar /Vividh-43/2011-2547- In exercise of the powers conferred under proviso to sub-section (1) of Section 61 of Bihar Value Added Tax Act, 2005, the Commissioner exempts consignment of the following description from requirement of sub-section (1) of section 61 in so far as it relates to carrying declarations as prescribed under Rule 41 of Bihar Value Added Tax Rules, 2005, namely : -

" All such transactions falling under clause (c) of sub-section(1) of Section 61 that do not exceed Rs. 50, 000 /- (Rs. Fifty Thousand) or less in value."

2. This notication shall come into force with effect from 16th July, 2013 for rigorous enforcement of provisions of computerized issuance and carrying of declaration as prescribed with all consignments having value above the limit as prescribed in Para- 1 of this notification.

By order of the Governor of Bihar,
NARENDRA KUMAR SINHA
Commissioner, Commercial Taxes

Website : http : //egazette.bih.nic.in

5 लाख तक की आय पर भरना होगा रिटर्न

पांच लाख रुपए सालाना कमाई करने वाले वेतनभोगियों को अब रिटर्न भरना होगा। आयकर विभाग ने इस तबके को आयकर रिटर्न भरने से दी गई छूट समाप्त कर दी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि पिछले दो साल के दौरान इस वर्ग को रिटर्न भरने से दी गई छूट को निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए जारी नहीं रखा गया। सीबीडीटी ने इससे पहले अन्य स्त्रोतों से 10,000 रुपए कमाई सहित सालाना पांच लाख रुपए तक कमाई करने वाले वेतनभोगी तबके को आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी थी।

(साभार: राष्ट्रीय सहारा, 23.7.2013)

सेवाकर (Service Tax)

सेवाकर : यह एक प्रकार का कर है जो सेवाप्रदाता से प्राप्त की गई सेवा पर चुकाया जाता है। ठीक जिस तरह विनिर्मित सामान पर उत्पाद शुल्क एक्साईज ड्यूटी चुकाई जाती है उसी तरह सेवाकर प्राप्त की गई सेवाओ पर चुकाया जाता है।

यह कर सेवा प्रदाता द्वारा सरकार को चुकाया जाता है तथापि सेवाप्रदाता इसका संग्रह सेवा प्राप्त करने वाले से वसूल करता है एवं सरकारी खाते में जमा करवाता है।

सेवाकर का संवैधानिक परिदृश्य: 1990 के दशक में डॉ. राजा चैलय्या की अध्यक्षता में गाणित "टैक्स रिफार्म कमैटि" ने वित्त अधिनियम, 1994 के माध्यम से सेवाकर की संकल्पना (concept) का परिचय करवाया एवं भारत में सेवाकर का शुभारम्भ प्रथम बार 1-7-1994 से शुरु हुआ एवं सेवाकर के लागू होने के प्रथम वित्त वर्ष में सरकार को लगभग 407 करोड़ के राजस्व की प्राति हुई।

समयान्तर सेवाकर की दर में वृद्धि एवं उसका दायरा बढ़ता गया एवं अपने शुरू होने से 17 वर्ष की यात्रा के दौरान 407 करोड़ के राजस्व से शुरू हुआ सेवाकर वर्ष 2011-12 में 97 हजार करोड़ के विशाल राजस्व में तबदील हो गया।

सेवाकर का प्रशासन: सेवाकर के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण बातें और भी हैं। एक सरकार ने सेवाकर का अलग से विभाग से नई बनाकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को ही सेवाकर का दायित्व सौंप रखा है जो कि राजस्व विभाग के अधीन आता है। और दूसरा न ही अलग से सेवाकर अधिनियम "सर्विस टैक्स अधिनियम" भी नही बनाया बल्कि आम बजट में पेश होने वाले वित्त अधिनियम (Finance Act) के सहारे ही उसे चलाया जा रहा है।

पहले सेवाकर विनिर्दिष्ट (Specified) सूची की सेवाओं पर ही देय था और उस सूची में तकरीबन 119 सेवायें ही सेवाकर के दायरे में आती थी लेकिन अब यह संकल्पना (Concept) बदलकर Negative list of services का concept प्रचलन में लाया गया है। यानि कानून में यह बताया गया है कि किस सेवाओं पर कर नहीं लगेगा।

16-03-2012 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने बजटीय भाषण में घोषणा की कि 1-07-2012 से Negative list of services "नकारात्मक सेवा सूची" में ही हुई सेवाओं के अलावा सभी प्रकार की सेवाओं पर सेवाकर लागू होगा और इस प्रकार Negative list of services के Concept को प्रचलन में लाया गया। इसी सूची में 17 मुख्य हैड बनाये गये है जो कि धारा 66D के अधीन शामिल किये गये है एवं नया concept लागू होने पर वर्तमान में काम आने वाली धारायें 65, 65A, 66 के प्रावधान समाप्त हो जायेंगे।

तथापि कुछ सेवायें अलग हैं जो "संयुक्त सेवायें" (Composite Services) कहलाती है। उदाहरणत: रेरस्तरां में सर्व किये जाने वाले खाद्य पदार्थ हालांकि खाद्य पदार्थ पर वर्तमान में वैट देय है। चूंकि हम रेस्तरां में सिर्फ खाना खाने ही नहीं जाते बल्कि वेटर एवं रसोई स्टाफ की सेवा भी लेते है अत: सेवाकर रेस्तरा मे सर्व किये गये भोजन / खाद्य पर भी लगेगा। अतएव ऐसे मामलों में सेवाकर का प्रथक (Segregate) करना कि ग्राहक ने कितना खाने के लिये और कितना उसके द्वारा ली गई सेवा के लिये दिया है, असंभव है अत: इस तरह की सेवायें बोलचाल की भाषा में संयुक्त सेवायें (Conmposite Service) कहलाती हैं एवं इस तरह के मामलों में सरकार द्वारा abatment shceme की घोषणा की गई जिसके तहत कुल मुल्य के बिल के एक निश्चित भाग (40%) पर ही सेवाकर देय होगा।

सेवा कर की दरें

बुनियादी	शिक्षा उपकर	एस.एच.ई उपकर	प्रभावी तिथि
12%	2%	1%	01/04/2012
10%	2%	1%	24/02/2009
12%	2%	1%	11/05/2007
12%	2%	-	18/04/2006
10%	2%	-	10/08/2004
08%	-	-	14/04/2003
05%	-	-	01/07/1994

List of Important Website

S.N.	Purpose	Website
1.	Finance Act, 1994, Notification, Circular, trade notices etc.	www.cbec. gov . in
2.	Electronic payment of S.Tax	www.cbec.nsdl.com
3.	Registration	www.aces. gov. in
4.	Cause list-CESTAT	www.cestat.gov.in
5.	Cause list- Delhi high court	www. delhihighcourt.nic.in
6.	Cause list-Supreem court	www.sureemcourtofindia. nic.in
7.	Budget	www.indianbudget.nic. in
8.	Service tax registration status/details	www.exciseandservicetax.nic.in

(साभार : टै० प०, जून 2013)

निम्नलिखित की पूर्ण जानकारी हेतु चैम्बर कार्यालय से सम्पर्क करें

1. सेवाकर की नकारात्मक सूची
2. सेवाकर के प्रारूप एवं फार्म
3. Interest Penalty's Precautions etc. under service Tax
4. सेवाकर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
5. सेवा कर का ई-भुगतान
6. आयकर रिटर्न दाखिल करना
   • रिटर्न दाखिल करने के दिशा निर्देश • रिटर्न के लिए जरूरी दस्तावेज • रिटर्न दाखिल करने में अनियमितता पर ब्याज • रिटर्न दाखिल न करने या देरी के लिए दण्ड एवं अभियोजन • दोषपूर्ण रिटर्न • वित्तीय लेनदेन की जानकारी का वार्षिक रिटर्न
7. कर योग्य आय एवं दायित्व की गणना
8. ITR-V को इलेक्ट्रोनिकली फाइल करने के दिशा निर्देश
9. रिटर्न दाखिल करने से पहले फार्म 26AS में अपना क्रेडिट चेक कर लें
10. TDS सर्टिफिकेट ऑनलाइन जेनरेट करके लेने की प्रकिया

(साभार : टै०प० जून एवं जुलाई, 2013)

एटीएम कार्ड से दे सकेंगे बिजली बिल

कैसे होगा घर पर ही बिल का भुगतान

- शहर के तमाम बिजली उपभोक्ताओं के घर हर महीने कपनी के प्रतिनिधि मीटर रीडिग करने व स्पॉट बिलिंग करने जाते हैं।
- आनेवाले दिनों में इन प्रतिनिधियों के पास पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन भी होगी।
- इस मशीन के जरिए उपभोक्ता अपने एटीएम कम डेबिट कार्ड (किसी भी बैंक के) से बिल जमा कर सकेंगे।
- इससे इन्हें समय की काफी बचत होगी।
- साथ ही धूप व बारिश में लाइन में लगने की जरूरत नहीं पडेगी।
- उपभोक्ता घर पर किसी करण से बिल जमा नहीं कर पाते हैं तो वे पेसू के बिल कलेक्शन काउंटर जाकर पीआएस मशीन से एटीएम कार्ड से बिल जमा कर लेंगे।
- 10 अगस्त तक इस सेवा को शुरू करने का प्रस्ताव

बिल कलेक्शन काउंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के डीजीएम जनसंपर्क हरेराम पांडेय के

अनुसार पेसू के सभी बिल कलेक्शन काउंटर पर जल्द ही पीओएस मशीन मुहैया करा दी जाएगी। शहर के लोगों की सुविधा के लिए पेसू की ओर से लगातार बिल कलेक्शन काउंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं। हर डिविजन में एक से दो अतिरिक्त काउंटर खोले जा रहे हैं। इससे बिल कलेक्शन काउंटरों पर पहले की अपेक्षा कतारें उतनी लंबी नहीं दिख रही हैं। इधर पेसू प्रबंधन की ओर बिल कलेक्शन कैम्प की भी शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत शहर के विभिन्न इलाकों में कैम्प लगाए जा रहे हैं। (साभार : हिन्दुस्तान, 22.7.2013)

बार कोड लेने को आगे आए 20 उद्यमी

अधिकांश छोटे उद्यमियों को बार कोड के बारे मे जानकारी ही नहीं होती। इससे उनके उत्पाद दूसरे देशों में कौन कहे, शहर के शापिंग माल तक नहीं पहुंच पाते। इसे देखते हुए भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। असर यह कि 20 छोटे उद्यमी बार कोड लेने के लिए आगे आए है। पटना, मुंगेर, बक्सर, नालंदा और लखीसराय में आठ से 12 जुलाई तक बार कोड पर कार्यशाला आयोजित की गई। कलस्टर अधिकारी संजीव आजाद के मुताबिक तीन दिन में ही 20 उद्यमी बार कोड लेने के लिए आगे आए हैं। बार कोड लेने के बाद इन उद्यमियों के उत्पाद एक ब्राड के रूप में बाजार में अपनी जगह बनाएंगे । बड़ा फायदा यह कि उनके उत्पाद 150 देशों से जुड़ जाएंगे। बार कोड उत्पाद को मानक के अनुरूप दर्शाने के साथ ही भारत सरकार की प्रतिपूर्ति राशि पाने का हक देता है। संजीव आजाद के मुताबिक सरकार ने जीएस 1 इंडिया को बार कोड देने के लिए अधिकृत किया है। (साभार : दैनिक जागरण, 16.7.2013)

For Honourable Exit from Defaulter's List

BIHAR STATE CREDIT & INVESTMENT CORPORATION LTD.

Introduces One Time Settlement Scheme Called
OTS -2013 (Term Loan) Scheme
For its assisted NPA accounts
The OTS - 2013 (Term Loan) provides
Liberal terms and conditions to
Settle Term Loan account
At Principal Outstanding (POS) Plus one time
Concessional interest @ 100% of POS + Other Charges extra.
OTS' 2013 will be in effect from 15.07.2013 to 31. 12. 2013
No delayed payment/penal Interest if Subscribed &
Paid on or before 30.09.2013

For details please Contact the office of
BICICO at Indira Bhawan
4th Floor, R.C. Singh Path,
Patna - 800001 • Ph: 0612-2538552
Visit website : www.bicico.com
www.industries.bih.nic.in

(Ramanand Jha)
IAS
Managing Director

(साभार : प्रभात खबर, 17.7.2013)

लगेगी न्यूनतम मजदूरी के उल्लंघन पर रोक

राजधानी के विभिन्न संस्थानों, निजी उपक्रमों में अधिकतर कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। यहां कर्मियों का कोई रिकार्ड भी नहीं रहता साथ ही वहां विभिन्न सेवा शतों का कोई पालन नहीं किया जाता। श्रम विभाग को इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं। शिकायतों की गहन छानबीन के बाद जिले के ऐसे कई प्रतिष्ठानों को चिंहित भी किया गया है। इन संस्थानों की शाखाओं, दफ्तरों व कारखानों में छापेमारी की योजना बनायी गई है। (साभार: हिन्दुस्तान, 17.7.2013)

बीड़ी मजदूरों के लिए इस वर्ष बनेंगे एक हजार घर

इस वर्ष राज्यभर के एक हजार बीड़ी मजदूरों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। ये आवास भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से बीड़ी मजदूरों के लिए चलने वाली आवास योजना के तहत बनवाए जाएंगे। (साभार: हिन्दुस्तान, 21.7.2013)

योजना आयोग ने शहरों के लिए खिंची गरीबी की नई रेखा

शहर में रोज ₹ 34 खर्च करने वाला गरीब नहीं

महंगाई ने भले ही आम आदमी की कमर तोड़ दी हो लेकिन सरकार गरीबी रेखा को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। योजना आयोग ने नई गरीबी रेखा जारी की जिसके अनुसार देश में सिर्फ उसी व्यक्ति को गरीब माना जायेगा जिसका मासिक खर्च गांव में 816 रुपये व शहर में 1,000 रुपये से कम है। इसका मतलब है कि गांव में 28 रुपये तथा शहर में 34 रुपये रोजाना खर्च करने वाला व्यक्ति बीपीएल श्रेणी में नहीं आएगा। **आठ सालों में मामूली बढ़ोतरी** • सरकार के फैसले से 13.78 करोड़ गरीब घटे • नई गरीबी रेखा तेंदुलकर फार्मूले पर तय की गई

राज्यवार गरीबी रेखा ₹ में

राज्य	गाँव	शहर
उत्तर प्रदेश	880	1082
बिहार	778	923
दिल्ली	1145	1134
झारखंड	748	974
उत्तराखंड	880	1082

कब कितनी रही गरीबी रेखा

वर्ष	गाँव	शहर
2011-12	816	1,000
2009-10	672.8	859.6
2004-05	446.68	578.80

गरीबी रेखा के आंकड़ें रुपये में

(साभार : हिन्दुस्तान, 24.7.2013)

खनिज का स्वामित्व भूस्वामी में निहित होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि खनिज संपदा का स्वामित्व सरकार के पास नहीं बल्कि यह भू स्वामी में निहित होना चाहिए। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अनुसार भूमि के नीचे की मिट्टी या खनिज संपदा का स्वामित्व शासन के पास होगा। न्यायालय ने केरल के कुछ भू स्वामियों की याचिका पर यह व्यवस्था दी। केरल उच्च न्यायालय ने इस मसले में राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। (विस्तृत समाचार: राष्ट्रीय सहारा, 15.7.2013)

कमिश्नरी में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज

प्रमंडल मुख्यालयों में अब मेडिकल कॉलेज खोलने की बारी है। आबादी के हिसाब से सूबे में 20 मेडिकल कॉलेज चाहिए। सरकार का इरादा भी कम से कम हर प्रमंडल मुख्यालय में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का है। इसी नीति के तहत सारण, मुंगेर, कोशी और पूर्णिया प्रमंडल के मुख्यालयों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय हो चुका है।

योजना : • मधेपुरा, छपरा, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में खुलेंगे मेडिकल कालेज • चल रहा आठ सरकारी और सरकारी मदद वाले दो स्वायत्त कॉलेज • चार है निजी मेडिकल कॉलेज, एक में इस वर्ष नामांकन पर लगी रोक • आबादी के हिसाब से राज्य में चाहिए कम से कम 20 मेडिकल कॉलेज। **सरकारी मेडिकल कॉलेज - 8 :** • पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल (पीएमसीएच) • दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल (डीएमसीएच) • नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल (एनएमसीएच) • जेएलएनएमसीएच • एसकेएमसीएच • एएनएमसीएच • जीएमसी बेतिया और वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी। **स्वायत्त मेडिकल कॉलेज - 2 :** पटना एम्स और आईजीआईएमएस। **निजी मेडिकल कॉलेज - 4 :** कटिहार, किशनगंज, सासाराम और सहरसा। **प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज - 5 :** मधेपूरा, छपरा, मुंगेर, पुर्णिया और सहरसा। (साभार: हिन्दुस्तान, 24.7.2013)

दानापुर मंडल सहित 21 डीआरएम बदले

इन्हें नियुक्त किया गया डीआरएम

दानापुर (बिहार)	- एन. के. गुप्ता
सोनपुर (बिहार)	- राजेश तिवारी
धनबाद (झारखंड)	- बी. बी. सिंह
लखनऊ (उ०प्र०)	- अनूप कुमार
मुरादाबाद (उ०प्र०)	- सुधीर अग्रवाल
इज्जतनगर (उ०प्र०)	- एम. जिंदल।

ये हैं वेटिंग फार पोस्टिंग में

दानापुर (बिहार)	- एल. एम. झा
सोनपुर (बिहार)	- रमनलाल गुप्ता
मुरादाबाद (उ०प्र०)	- सुनील माथुर
इज्जतनगर (उ०प्र०)	- उमेश सिंह
लखनऊ	- वी. के. यादव

(साभार: दैनिक जागरण, 23.7.2013)

क्षेत्राधिकार से बाहर जमीन के निबंधन पर अब लगेगा 5000 रुपये शुल्क

पहले लगता था 250 रुपये

क्षेत्राधिकार से बाहर की जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री कराने पर अब पांच हजार रुपये अतिरिक्त देना होगा, सरकार ने शुल्क 250 रुपये से बढ़ा कर पांच हजार रुपये कर दिया है। निबंधन, उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गयी। विभाग ने कहा है कि जिला अवर निबंधन कार्यालय में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए लोग अवर निबंधन कार्यालय को छोड़ जिला अवर निबंधन कार्यालय में आते हैं। जबकि उनकी जमीन अवर निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार के तहत आती है। दूसरी ओर डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बढ़ते प्रचलन के कारण शुल्क को सामान्य एग्रीमेंट की तुलना में बढ़ा दिया गया है। वहीं दान में मिले जमीन-फ्लैट, बंटवारा व लीज मामलों में निबंधन फीस की दर चार फीसदी से घटा कर दो फीसदी कर दी गयी है।

(साभार: प्रभात खबर, 24.7.2013)

जड़ी-बूटी आधारित दवाओं के लिए लेना होगा लाइसेंस

आयुर्वेद, युनानी और सिद्धा पद्धति के क्षेत्र में बनने वाली जड़ी-बूटी आधारित दवाईयों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना से छोटे दवा विक्रेताओं को झटका लगा है।

आयुष विभाग की उक्त अधिसूचना पिछले महीने की दस जून को जारी की हुई है। इसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में कुछ संशोधन किए गए हैं। अब उक्त तीनों पद्धतियों के डाक्टर यदि मरीजों को परामर्श के साथ दवा देंगे तो उन्हें अपने राज्य के दवा नियंत्रकों से लाइसेंस लेना होगा और एक शपथपत्र भी देना होगा।

(साभार: राष्ट्रीय सहारा, 22.7.2013)

उड़ान से पहले कतरे गए निगम के पर

नगर निगम और नगर विकास विभाग के बीच जिच जारी है। शहर को चेन्नई की तर्ज पर चमकाने के लिए निगम ने जो कचड़ा प्रबंधन प्रस्ताव तैयार किया था, वह पास हो, इसके पहले ही नगर विकास विभाग ने उसी प्रस्ताव को संशोधित करते हुए उसे अधिसूचित कर दिया है।

उपभोक्ता श्रेणी	नगर निगम रेट	नगर विकास रेट
आवासीय	60 रुपए	30 रुपए
ढाबा,मिठाई, काफी शॉप	300 रुपए	100 रुपए
रेस्टोरेंट, धर्मशाला आदि	1000 रुपए	500 रुपए
सितारा या समतुल्य होटल	10,000 रुपए	5,000 रुपए
व्यावसायिक कार्यालय	1000 रुपए	500 रुपए
क्लिनिक लैब	1000 रुपए	250 रुपए
50 शय्या वाले अस्पताल	3000 रुपए	1500 रुप्ए
मेरेज हाल प्रदर्शनी स्थल	5000 रुपए	2500 रुपए

(सचामार : दैनिक जागरण, 23.7.2013)

पचास हजार लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा बिजली बिल

पेसू की ओर से हो रहा प्रयास पर शिकायतें नहीं हो रहीं दर्ज

मीटर लगाने की प्रक्रिया : • जरूरी कागजात आवेदन के साथ जमा करने पड़ते हैं • जमीन व मकान के कागजात • शपथपत्र (आफिडिविट) • बकाया नहीं रहने का प्रमाणपत्र • मकान मालिक के साथ करारनामा • जेई द्वारा इसके बाद इस्टीमेंट बनाया जाता है।

बिल नहीं मिल रहा तो फोन करें	0126-2234020 0612-2233479	समय : सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक

घरेलू उपभोक्ता : सिक्युरिटी मनी – ₹ 400 प्रति किलोवाट, ₹ 75 रजिस्ट्रेशन चार्ज, मासिक रेंट मीटर का – ₹ 20, मासिक रेंट मीटर (कमर्शियल) – ₹ 50

कमर्शियल उपभोक्ता : ₹ 1200 प्रति किलोवाट, रजिस्ट्रेशन चार्ज ₹ 75

(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान, 24.7.2013)

ऑपरेटरों के अकाल से बिहार में अटका आधार कार्ड

पटना समेत चार जिलों में इसका कार्य फिलहाल है बंद

13 जिलों में एनपीआर का 4% ही पूरा हुआ काम

आधार कार्ड के फायदे : • आधार कार्ड 12 अंकों का डिजिटल पहचान पत्र है। यह प्रत्येक उम्र के व्यक्ति को सार्वभौमिक पहचान देता है • बैंक एकाउंट, पासपोर्ट, गैस कनेक्शन, राशन कार्ड समेत तमाम सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने लिए महज यह पहचान-पत्र ही पर्याप्त होगा • 12 अंकों को डालकर किसी भी व्यक्ति की पहचान कहीं से कभी भी जानी जा सकती है।

नहीं होने से परेशानी : सभी लोगों को यूनिक आईडेंटिफिकेशन देने की अवधारणा साकार नहीं हो पाएगी। बीपीएल परिवार के लोगों को तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से देने की योजना पर विचार किया जा रहा है इस कार्ड के जरिये उनका बैंक में एकाउंट खोलकर उसमें योजनाओं के रुपए सीधे ट्रांसफर करना है। आधार नंबर नहीं होने से ऐसा नहीं हो पाएगा।

प्रति व्यक्ति खर्च : रुपये 54 (एनपीआर पर) • 150 रुपये (आधार कार्ड पर)

(साभार: हिन्दुस्तान, 24.7.2013)

पटना व भागलपुर के बीच विमान सेवा शीघ्र

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से भागलपुर के लिए सीधी उड़ान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब डीजीसीए एयरपोर्ट ऑथिरिटी और विमानन कंपनी स्काइ फिशर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होगा, इसकी तिथि बाद में घोषित होगी। विमानन कंपनी स्काइ फिशर सीधी उड़ान के लिए शिड्यूल तय करेगी। फिलहाल प्रयोग के तौर पर सप्ताह में एक दिन विमान सेवा बहाल होगी।

(सभार: प्रमात खबर 17.7.2013)

वेटिंग टिकट पर अब रेल सफर नहीं

सीट खाली रहने पर वेटिंग टिकट मान्य : सीट खाली होने पर टीटीइ स्टाफ वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को जगह देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें ट्रेन में सवार होने से पहले चीफ टीटीइ से संपर्क करना होगा। यदि ट्रेन फुल है तो यात्री वेटिंग टिकट पर सफर नहीं कर पायेंगे।

यत्रियों की शिकायत पर संज्ञान : मंडल अफसरों ने बताया कि यह आदेश यात्रियों को शिकायत और सुझाव पर जारी किया गया है। यात्री लगातार शिकायत कर रहे थे कि सीट कनफर्म होने के बावजूद सफर में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी वेटिंग टिकट के यात्रियों से होती है, वे सीट पर कब्जा कर लेते हैं और टीटीइ के कहने पर भी खाली नहीं करते हैं। मारपीट की नौबत आ जाती है।

(साभार: प्रभात खबर, 22.7.2013)

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

वाहन स्वाभी कृपया ध्यान दें

यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने तथा वाहन जनित प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु दिनांक 15.07.2013 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पटना शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष पुरानी बसों / टेम्पों / ऑटोरिक्शा तथा स्कूल बसों के परिचालन पर रोक लगायी जाय एवं ऐसे वाहनों को परमिट नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

वैसे वाहन स्वामी जिनके वाहन 15 वर्ष पुराने हो चुके हैं या 15 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं, उन्हें वर्तमान वैध परमिट पर नए वाहन प्रतिस्थापित करने हेतु तीन माह का समय दिया गया है। तीन माह के अन्दर यदि परमिट पर नये वाहन प्रतिस्थापित नहीं कराये जाते हैं तो उन वाहनों के परमिट / नवीकरण रद्द कर दिये जायेंगे। इस निर्णय का अनुपालन करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना को निदेशित किया जा रहा है।

ह०/- प्रधान सचिव-सह-
राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना

(साभार: टाइम्स ऑफ इंडिया, 22.7.2013)

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा
वाणिज्य–कर विभाग से सम्बन्धित चैम्बर के ज्ञापन का सारांश

ज्ञापन का क्रमांक	सम्बन्धित विषय	विषय/प्रावधान का उद्देश्य	पूर्व के प्रावधान	संशोधन के बाद का प्रावधान	सुझाव/अपेक्षा
1 (i) एवं (ii)	प्रपत्र D-VIII के सम्बन्ध में	राज्य के अन्दर माल परिवहन हेतु लागू किया गया ।	50,000/- रू० के उपर के मूल्य के माल के लिये D-VIII की आवश्यकता होती थी ।	माल के मूल्य की सीमा को घटाकर 25,000/- रूपया कर दिया गया।	परिवाहित किये जाने वाले माल के लिये न्यूनतम मूल्य 2,00,000/- रूपया से अधिक पर ही लागू हो ।
1 (iii) एवं (vii)	तथैव	तथैव	अनुज्ञा-प्रपत्र D-VIII के लिये कोई वैधता अवधि तय नहीं थी ।	वैधता अवधि 144 घंटे अर्थात् 6 दिन कर दिया गया है ।	इसे कम से कम 30 दिन रखा जाना चाहिये ।
1 (iv)	तथैव	तथैव	VAT ACT 2005 लागू होने के पूर्व MRP के आधार पर सम्पूर्ण कर के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था ।	2005 में VAT ACT लागू होने के बाद अधिसूचना संख्या S. O. 47 दिनांक 4.5.2006 द्वारा दवा एवं कतिपय अन्य वस्तुओं के MRP पर पूर्ण टैक्स के भुगतान को लागू किया गया ।	चूँकि प्रथम विक्रय के बाद की गई Subsequent बिक्री पर कर का भुगतान नहीं किया जाना है । अतएव जिन वस्तुओं के MRP पर कर का भुगतान हो जाता है, उन वस्तुओं के परिवहन को अनुज्ञा-प्रपत्रों से विमुक्त किया जाय ।
1 (v)	तथैव	तथैव	VAT ACT को लागू किये जाने के समय राज्य के अन्दर माल के परिवहन हेतु व्यवसायियों को यह अधिकार दिया गया था कि वे अपने से प्रपत्र D - VIII को मुद्रित कराकर 25 पन्नों के Booklet में रखे और माल परिवहन हेतु प्रयोग करें इसके लिए क्रेता एवं विक्रेता दोनों अधिकृत थे ।	वर्त्तमान में केवल बिक्रेता व्यवसायी ही प्रपत्र D - VIII निर्गत कर सकते हैं ।	क्रेता व्यवसायी को भी D - VIII क्रेता व्यवसायी को Electronically जनित करने दिया जाय इससे बिक्रेता व्यवसायी का बोझ कम होगा ।
1 (vi)	तथैव	तथैव	क्रेता एवं विक्रेता दोनों व्यवसायियों द्वारा स्वत: मुद्रित कराये गये प्रपत्र D - VIII का व्यवहार माल के परिवहन हेतु किया जाता था ।	अब माल के परिवहन के लिये Electronically जनित D-VIII केवल विक्रेता व्यवसायी द्वारा जनित किया जाता है ।	देश के कई राज्यों में यथा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं दिल्ली में राज्य के अन्दर माल परिवहन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। अतएव बिहार में भी इसे समाप्त करने की कृपा की जाय ।
1 (viii) एवं (ix)	तथैव	तथैव	अधिसूचना संख्या 1663 दिनांक 17.5.2013 से D-VIII को Electronically जनित करने की व्यवस्था की गई जो दिनांक 16.5.2013 से प्रभावी किया गया ।	दिनांक 16.5.2013 से जो प्रपत्र D-VIII को लागू किया जाना था इसके सम्बन्ध में लागू होने के पहले ही वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार पटना से मिलकर होने वाली कठिनाईयों से अवगत कराया गया। फलस्वरूप उनके द्वारा तीन तरह के प्रपत्र को हटाकर एक ही प्रपत्र D-VIII (BHR-1) को लागू किया गया जिससे सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 17.5.2013 को निर्गत किया गया । साथ ही, इस सम्बन्ध में एक "आवश्यक सूचना" भी उनके द्वारा Soft Launch के सम्बन्ध में प्रकाशित किया गया ।	विभागीय Website पर नया Format नचसवंक करने में हो रही कठिनाईयों से नियमित रूप से वाणिज्य-कर आयुक्त को अवगत कराते हुए उन्हें यह भी बताया गया कि Field Officer सही मायने में Soft launch को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और थोड़ी भी गड़बड़ी होने पर व्यवसायी को दण्ड का भागी बनना पड़ता है । अतएव, इसे समाप्त किया जाय ।

ज्ञापन का क्रमांक	सम्बन्धित विषय	विषय/प्रावधान का उद्देश्य	पूर्व के प्रावधान	संशोधन के बाद का प्रावधान	सुझाव/अपेक्षा
2.	प्रपत्र D-IX के सम्बन्ध में	राज्य के बाहर से माल बिहार राज्य के अन्दर लाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है।	पूर्व में वाहन चालक एवं वाहन के बारे में इतनी ज्यादा सूचनाओं की आवश्यकता नहीं थी, जो संशोधन के बाद लागू किया गया है।	प्रपत्र D-IX जनित करने के समय वाहन चालक का नाम, उनका लाइसेंस नं0 वाहन का निबन्धन संख्या आदि उपलब्ध नहीं रहता है।	अतएव, पूर्व के तरह व्यवस्था लागू की जाय।
3.	प्रपत्र D-X के सम्बन्ध में	राज्य के अन्दर से बिहार के बाहर माल परिवहन हेतु	पूर्व में इसकी वैधता अवधि 288 घंटे थी। साथ ही, पूर्व में Consignee का TIN नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य नहीं था।	अब इसकी वैधता अवधि घटाकर 144 घंटे कर दी गई है। प्रपत्र D-X को जनित करने के लिये Consignee का TIN नम्बर अंकित करना अनिवार्य है वरना D-X जनित नहीं होगा। इससे राज्य के राजस्व पर कुप्रभाव पड़ेगा क्योंकि राज्य का पूरा वैट भुगतान कर यदि कोई अनिबन्धित व्यवसायी या व्यक्ति माल क्रय करता है तो उसे राज्य से बाहर माल परिवाहित करने के लिये D-X निर्गत नहीं किया जा सकता है क्योकि उसे TIN नम्बर प्राप्त नहीं होता है।	पूर्व की भाँति कम से कम वैधता अवधि 288 घंटे रखी जाय तथा पूर्व की तरह बिना TIN नम्बर के भी प्रपत्र D-X जनित करने दिया जाय।
4.	माल परिवहन हेतु एक ही प्रपत्र को लागू करने के सम्बन्ध में	राज्य के बाहर से माल लाने बिहार राज्य के अन्दर माल के परिवहन एवं राज्य के बाहर माल भेजने हेतु घोषणा प्रपत्र के तीन अलग-अलग प्रपत्र प्रयुक्त किये जाने हेतु	VAT ACT लागू होने के पूर्व राज्य के अन्दर माल लाने राज्य के बाहर माल भेजने एवं राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल परिवहन हेतु एक ही अनुज्ञा-प्रपत्र XXVIIIB निबन्धित व्यवसायियों के लिये लागू था, जिसे पहचान के लिये तीन रंगों में छपाई किया जाता था।	अभी तीन प्रकार के अनुज्ञा-प्रपत्र D-VIII, D-IX एवं D-X क्रमशः राज्यान्तर्गत परिवहन, अन्तर्राज्य क्रय हेतु एवं अन्तरर्राज्य विक्रय हेतु माल परिवहन के लिये लागू है, जबकि कर्नाटक राज्य में एक ही प्रपत्र से सभी संव्यवहार संचालित होते हैं।	अत: बिहार राज्य में भी तीन प्रकार के अनुज्ञा-प्रपत्रों के बदले एक ही प्रपत्र को लागू किया जाय।
5(i)	केन्द्रीय प्रपत्र 'सी' के सम्बन्ध में	केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रपत्र 'सी' के आधार पर रियायती दर से माल खरीदने की सुविधा का प्रावधान है।	व्यवसायी अन्तर्राज्य क्रय हेतु केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन अपने अंचल के प्रभारी पदाधिकारी के समक्ष केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के नियम 9 के अन्तर्गत विहित रूप से आवेदन कर प्रपत्र-सी प्राप्त करते थे।	विभागीय परिपत्र संख्या 7388 दिनांक 14.12.12 द्वारा एक प्रशासनिक आदेश से यह निदेशित किया गया कि वर्ष 2012-13 से पूर्व की अवधि के लिये प्रपत्र सी का On line निर्गमन विहित प्रक्रिया के तहत होगा। इसके लिये अन्तिम तिथि 30.1.2013 निर्धारित किया गया था। बाद में, इस तिथि को विस्तारित कर 31.3.2013 किया गया। उसके बाद से वर्ष 2012-13 के पूर्व की अवधि के लिये प्रपत्र-सी का निर्गमन Online नहीं हो पा रहा है।	निवेदन है कि प्रपत्र-सी निर्गत करने के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी जाय अगर समय रखना हो तो कम से कम दो या तीन साल का समय दिया जाय।
5(ii)	तथैव	तथैव	अन्तर्राज्य क्रय हेतु अंचल कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र-सी को भरकर व्यवसायी को निर्गत करने के पूर्व यह ज्ञात होने पर कि कोई त्रुटि हो गई है तो उक्त प्रपत्र-सी को रद्द कर दूसरा प्रपत्र निर्गत किया जा सकता था।	वर्त्तमान में On Line प्रपत्र सी निकालने में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे Cancel कर नया प्रपत्र सी निकालने की व्यवस्था Software में नहीं है।	गलत हो गये प्रपत्र-सी को रद्द कर दूसरा प्रपत्र निकालने की व्यवस्था Software में कृपया करायी जाय।

ज्ञापन का क्रमांक	सम्बन्धित विषय	विषय/प्रावधान का उद्देश्य	पूर्व के प्रावधान	संशोधन के बाद का प्रावधान	सुझाव/अपेक्षा
6.	वैट प्रतिपूर्त्ति के सम्बन्ध में	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006/2011 के अन्तर्गत उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने हेतु	वर्त्तमान प्रावधान के अनुसार देय सुविधा की राशि का उपबन्ध उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है और उद्यमियों द्वारा भुगतान किये गये वैट के साक्ष्य के रूप में अपना पासबुक वाणिज्य-कर विभाग के अंचल प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् आवश्यक जाँचोपरान्त आंबटन उपलब्ध रहने की दशा में भुगतान किये गये वैट राशि की प्रतिपूर्त्ति की जाती है ।	इस व्यवस्था में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है ।	अपेक्षा है कि उद्यमियों को समय पर बिना किसी परेशानी के भुगतान किये गये वैट राशि की प्रतिपूर्त्ति Online उनके बैंक खाते में करायी जाय ।
7.	PSC Poles पर VAT दर को कम करने के सम्बन्ध में	PSC Poles के उद्योगों को बन्द होने से बचाने के उद्देश्य से	वर्तमान में इस वस्तु पर वैट का दर 13.5% है जो सीमावर्त्ती राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। PSC Poles का उपयोग अधिकांशतः विद्युतीकरण के कार्य में आता है। राज्य में विद्युत परियोजना के लिये जो निविदा की जाती है, उसमें अधिकतर राज्य के बाहर के संवेदक को Turn Key Basis पर कार्य मिल जाता है और ऐसे संवेदक PSC Poles का क्रय 2% CST का भुगतान कर राज्य के बाहर से कर लेते हैं ।	PSC Poles के वैट दर को यदि संशोधित कर 5% कर दिया जाय तो राज्य में निर्मित/उत्पादित PSC Poles की बिक्री होने लगेगी और इससे करीब 40 फैक्ट्रियाँ बन्द होने से बच जायेगी ।	अतएव, वैट दर को कम एवं सुसंगत बनाया जाय ।
8.	प्रवेश-कर एवं वैट कर दर में भिन्नता के कारण उत्पन्न विसंगति	प्रत्येक वस्तु पर प्रवेश कर की दर उस आईटम के वैट दर से कम या समान हो ताकि भुगतान की गई प्रवेश कर का समायोजन वैट में हो सके ।	विद्युत के कुछ सामग्रियों पर वैट 5% लगता है और कुछ पर 13.5% जबकि प्रवेश कर समान रूप से 8% देय है । 5% वाले विद्युत सामग्री पर चुकाये गये 8% प्रवेश कर का सामंजन नहीं हो पाता है । फलस्वरूप राज्य में ऐसे सामानों का आयात करीब समाप्त है जो राज्य के राजस्व को प्रभावित कर रहा है ।	इस प्रकार की विसंगतियों को समय समय पर चैम्बर के प्रयास से दूर कराया जाता रहा है । किन्तु वर्त्तमान मामले में अभी तक वैट दर में सुधार नहीं हो पाया है ।	इस विसंगति को समाप्त कराया जाय ताकि प्रवेश कर के पूर्ण सामंजन का लाभ व्यवसायी को प्राप्त हो सके ।
9.	वार्षिक विवरणी के सम्बन्ध में	व्यवसायी के वर्ष के अधीन किये गये सम्पूर्ण संव्यवहार का ब्योरा प्राप्त करने हेतु	वार्षिक विवरणी के लिये विहित प्रपत्र RT-III को एक बार दाखिल करने के बाद इसे पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता है ।	कई बार मानवीय भूल के कारण भी विवरणी भरने में यदि कोई गलती हो जाय तो उसे सुधार नहीं करने के प्रावधान को संशोधित किया जाय । Income Tax Act के अधीन भी Revised Return दाखिल करने की व्यवस्था है ।	अतएव, अनुरोध है कि RT-III को Revise करने के लिये नियम में संशोधन कराया जाय ।

अब थाने जाने की जरूरत नहीं ई-मेल से भी दर्ज होगी शिकायत

सहूलियत : • घर बैठे अपनी समस्या थाने को ई-मेल करें • दे सकते हैं गुप्त जानकारी भी • जल्द ही इंटरनेट पर उपलब्ध होगी पटना पुलिस।

"जल्द ही इंटरनेट सिस्टम सभी थानों में चालू कर दिया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने पर पटना पुलिस ऑनलाइन हो जाएगी। इसमें शिथिलता बरतने वाले थानेदारों के खिलाफ वेतन रोकने से लेकर अन्य विभागीय कार्रवाई की जाएगी।" — मनु महाराज, एसएसपी

• जिले में कुल थाने-73 • शहरी थाना-36 • ग्रामीण थाना-37 • महिला थाना-1

थाना ईमेल आईडी : • श्रीकृष्णपुरी : *ps.skpuri-bih@nic.in* • पाटलिपुत्र : *patliputra.ps@nic.in* • मोकामा : *sho-mokamaps-bih@nic.in* • चौक : *ps.chowk-pat-bih@nic.in* • मसौढी : *ps.masaurhi-pat-bih@nic.in*

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.7.2013)

PT. GPO/R-10/NP-15/2012-2013 R.N. 4211/62

ओम कोरीगेटेड फैक्ट्री का शुभारंभ

फैक्ट्री के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर आसीन बायें से चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री शशि मोहन तथा अन्य अतिथिगण।

दिनांक 14.7.2013 को बिहटा खगौल मार्ग पर अहियापुर गाँव के समीप स्थापित आधुनिक कार्टन फैक्ट्री ओम कोरीगेटेड पैक प्रा० लि० के उद्घाटन के मौके पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपनी शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार के औद्योगिकरण की राह में ओम कोरीगेटेड पैक प्रा० लि० मील का पत्थर है। उन्होंने फैक्ट्री के प्रबन्ध निदेशक श्री देव नारायण प्रसाद सिंह जी, जिन्हें विगत् तीस वर्षों से अधिक समय से जानता हूँ, को कठिन परिश्रम से इस मुकाम को हासिल करने के लिए हार्दिक बधाई दी तथा उन्हें नये उद्यमियों के लिए प्रेरणा-स्रोत बताया। उन्होंने बिहार में हो रही चहुमुखी विकास तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को फैक्ट्री के स्थापना का मुख्य कारण माना।

इसके पूर्व मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव सह विद्युत संचरण कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि स्थापित हो रहे कारखानों व संस्थानों में बिजली की अहम् भूमिका है। बिहार सरकार ने बिजली को लेकर करीब 10 से 12 हजार करोड़ रूपये खर्च करने की योजना बनाई है। 2017 तक बिहार को 6000 मेगावाट बिजली मिलेगी।

इस अवसर पर विधान पार्षद श्री नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में निरन्तर विकास की बढ़ रही गति को देख अन्य राज्यों के लोग भी इसका अनुशरण कर रहे हैं। कम्पनी के डायरेक्टर श्री देव नारायण प्रसाद सिंह एवं श्री सुबोध कुमार सिंह ने कम्पनी की बेहतरीन उत्पादन व गुणवत्ता पर चर्चा की।

उक्त अवसर पर चैम्बर के दोनों उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री शशि मोहन भी उपस्थित थे।

HIGHER CREDIT RATING CAN LOWER INTERESTS: SBI GM

Chamber's President Sri P. K. Agrawal sitting on dias (Extreme left) at a workshop organised by SBI.

General Manager (net-work- 1) of State Bank of India, NR Parmar said that small and Medium Enterprises (SME) borrowers could now choose the rate of interest on the loans availed from the bank. The flexibility for deciding the interest rate on loans availed directly depended on the credit rating enjoyed by the borrowers, he said.

Speaking at a workshop on 'Credit Risk Assessment' jointly organized by SME Patliputra and Boring Road branches, Parmar explained the benefits of external credit rating saving "Better rated units are considered to be low on risk and, hence, the banks reward such borrowers by way of reducing their rate of interest."

Parmar said, borrowers who have an improved balance sheet can get the benefit of better rate of interest for loans.

"All SME borrowers, who fit on the laid down criteria for credit rating can decide on the rate of interest," he said. Hundreds of SME customers along with their chartered accountants, attended the workshop.

President of Bihar Chamber of Commerce & Industries P K Agrawal also presented his views. ***(Source : Hindustan Times, 31.7.2013)***

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296